न्यायालय सिविल जज (जृ0 डि0), राम सनेहीघाट, कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या–150/2018

माताफेर बनाम मोहम्मद यूसुफ आदि

28.08.2019

बादहू वादी अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र कागज संख्या ग–42 अन्तर्गत धारा 151 जा०दी० पर बल दिया गया।

प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादी का यह कहना है कि इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को विवादित भूमि गाटा संख्या 309 पर वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे में दखल न देने के लिए आदेशित किया गया था। प्रार्थी वादी का कहना है कि उक्त गाटा संख्या के जुज भाग पर लगे पालेसर, छप्पर जर्जर अवस्था में हो गए हैं, जिसे बदला जाना आवश्यक है, ताकि शान्तिपूर्ण कब्जे में पालेसर का संचालन होता रहे। इस प्रकार से प्रार्थी वादी द्वारा प्रार्थना की गयी है कि विवादित स्थल पर लगे पालेसर के जर्जर छप्पर को हटाकर पालीथीन/टीनशेड करने की अनुमति प्रदान की जाए।

एक पक्षीय रूप से वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी द्वारा इस स्तर पर अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस वाद में कमीशन आख्या ग–41 प्राप्त हो चुकी है, परन्तु उसका अभी गुण–दोष पर निस्तारण नहीं हुआ है। पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत है। न्यायालय आदेश दिनांकित 16.08.2018 का अवलोकन किया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी गाटा संख्या 309 के संबंध में प्रतिवादीगण को वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा व दखल में हस्तक्षेप न करने हेतु आदेशित किया गया है। अतः उक्त आदेश से स्वतः स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा व दखल में हस्तक्षेप करने से रोका गया है। न्यायालय आदेश द्वारा कहीं पर भी वादी को अपनी विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार से उपयोग व उपभोग हेतु प्रतिबन्धित नहीं किया गया है। अतः उक्त हेतु वादी को अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, वरन वह विवादित आराजी के शान्तिपूर्ण उपयोग व उपभोग करने हेतु स्वतंत्र है। तदनुसार प्रार्थना पत्र ग–42 का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15.11.2019 को पेश हो।

(प्रागदत्त शुक्ला)
प्रभारी सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।